:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः–13/2017

लक्ष्मणप्रसाद पिता सोमा कोटेड़ जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी सतीरामपुर तहसील डूंगरपुर जिला–डूँगरपुर राज।

–वादी

बनाम

1 विरजी पिता शंभू जाति मीणा निवासी झौंथरी तहसील झौंथरीपाल जिला–डूंगरपुर।

2 भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल डूँगरपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क रा.का. अधिनियम

उपस्थितः–

श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी।

श्री कालूराम डामोर अधिवक्ता प्रतिवादी।

:: निर्णय :: दिनांक 26/06/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 92(क) राज. का. अधि. का पेश किया किः गाँव भीण्डा के जमाबन्दी खाता सख्या 458 के खसरा संख्या 2016, 2020, 2021, 2052, 2953 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 8.16 बीघा भूमि है, जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा एवं प्रतिवादी सख्या 1 का 8/9 हिस्सा है जो दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजी का रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार बटवारा करने, बटवारा उपरान्त वादी के हक हिस्से में आई जमीन पर प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता कालूराम डामोर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या 1 को वाद का जवाब दावा प्रस्तुत करने समूचित अवसर दिए गए किन्तु उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, जवाब का अवसर बन्द कर दिया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर दिनांक 24.02.2020 को निर्णय लिखा जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की कि गांव भीण्डा के जमाबन्दी खाता संख्या 458 के खसरा संख्या 2816, 2820, 2821, 2952, 2953 कुल खसरा किता 5 कुल रकबा 8.16 बीघा भूमि में वादी का 1/9 हिरसा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 8/9 हिस्सा के अनुसार रिकार्ड एवं मौके के अनुसार अच्छी से अच्छी किस्म एवं बुरी से बुरी किस्म एवं अच्छी से अच्छी लोकेशन एवं बुरी से बुरी लोकेशन के आधार पर बटवारा स्किम न्यायालय हाजा में पेश करने तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया गया। साथ ही

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया कि वह वह वादग्रस्त आराजी जो वादी के हक हिस्से की है, में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे, जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। पत्रावली वास्ते इंतजार बंटवारा स्कीम नियत की गई। दिनांक 27.07.2021 को तहसील से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते बहस बंटवारा रिपोर्ट नियत की गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब करने पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया। दिनांक 26.06.2024 प्रार्थना–पत्र पर बकुलाय पक्षकार की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वक्त बहस बताया कि वादी सतीरामपुर डूंगरपुर का निवासी है एवं प्रार्थी को विभाजन प्रस्ताव में एकचक भूमि दी जाने से प्रार्थी के साथ न्याय हो पायेगा। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा किये जाने बाबत् जारी की गयी है, एवं न्यायहित में पक्षकारों के मध्य मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर बंटवारा किया जाना उचित समझता हूँ। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

बंटवारा रिपोर्ट पर बकुलाय पक्षकार की अंतिम बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी एवं प्रतिवादी में उनके हिस्से अनुसार बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार झौंथरीपाल से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट स्वीकार करना उचित समझता हूँ। अतः बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार प्राप्त है जो स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि–

खाता (I)				खाता (II)			
1. विरजी पिता शंभु जाति मीणा सा.देह खातेदार रहन विवरण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर				2. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र सोमा जाति मीणा सा. सतीरामपुर खातेदार			
ख.नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान	ख.नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
2816	0.1537 (0–19 बीघा)	सी.प्र.	1.19	2816	0.0242 (0–03 बीघा)	सी.प्र.	0.19
2820	0.7847 (4–17 बीघा)	सु.द्वि	3.65	2820	0.1052 (0–13 बीघा)	सु.द्वि	0.48
2952	0.1456 (0–18 बीघा)	सु.द्वि	0.68	2952	0.0162 (0–02 बीघा)	सु.द्वि	0.07
2953	0.1456 (0–18 बीघा)	सु.द्वि	0.68	2953	0.0162 (0–02 बीघा)	सु.द्वि	0.07
कुल खसरे 04	क्षेत्रफल (7–12 बीघा) 1.2296		लगान 6.20	कुल खसरे 04	क्षेत्रफल (1–00 बीघा) 0.1618		लगान 0.81

बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में अंकित खसरा नंबर 2821 क्षेत्रफल (0–04 बीघा) 0.0323 हैक्टेयर किस्म ढूंढा मौके की स्थिति अनुसार मौके पर कच्चा मकान बना होने से शामलाती खाते में रहने दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

तहसीलदार तहसील झोंथरीपाल को आदेशित किया जाता है कि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खाते राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज किये जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त हुई भूमि में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26/06/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

बटवारे के वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री राकेश कुमार न्योल .

श्री लक्ष्मणप्रसाद बनाम विरजी आदि

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण सख्याः– 13/2017

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल उप. और प्रतिवादीगण की ओर से श्री कालूराम डामोर। आज दिनांक / /2024 को पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार न्योल के समक्ष बटवारे हेतु पेश होने पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिकी दी जाती है कि–

तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जाता है कि निम्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के खाते राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग दर्ज किये जावेः–

खाता (I)				खाता (II)			
3 विरजी पिता शभु जाति मीणा सा.देह खातेदार रहन विवरण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर				4. लक्ष्मणप्रसाद पुत्र सोमा जाति मीणा सा. सतीरामपुर खातेदार			
ख.नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान	ख.नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	लगान
2816	0.1537 (0–19 बीघा)	सी.प्र.	1.19	2816	0.0242 (0–03 बीघा)	सी.प्र.	0.19
2820	0.7847 (4–17 बीघा)	सु.द्वि	3.65	2820	0.1052 (0–13 बीघा)	सु.द्वि	0.48
2952	0.1456 (0–18 बीघा)	सु.द्वि	0.68	2952	0.0162 (0–02 बीघा)	सु.द्वि	0.07
2953	0.1456 (0–18 बीघा)	सु.द्वि	0.68	2953	0.0162 (0–02 बीघा)	सु.द्वि	0.07
कुल खसरे 04	क्षेत्रफल (7–12 बीघा) 1.2296		लगान 6.20	कुल खसरे 04	क्षेत्रफल (1–00 बीघा) 0.1618		लगान 0.81

–खसरा नंबर 2821 क्षेत्रफल (0–04 बीघा) 0.0323 हैक्टेयर किस्म दूंढा मौके पर कच्चा मकान बना होने से शामलाती खाते दर्ज किया जावे।

साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त हुई भूमि में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे।

आज दिनाक 26/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहान		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner